

उपग्राम आवास एवं विकास परिषद, 104-बहालवा गांधी
भाग, कलकत्ता पर दिनांक 30-3-90 को हुई विद्वतीय बैठक
का कार्यवृत्त

दिनांक 30-3-90 की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1- श्री रामभु नाथ		अध्यक्ष
2- श्री अनिल कुमार	आवास अधिकृत	सदस्य
3- श्री एसके0 सिन्हा	संयुक्त सचिव, विचार समिति के प्रतिनिधि।	सदस्य
4- श्री शत्रुघ्न सिंह	आवास सचिव के प्रतिनिधि	सदस्य
5- श्री के0पी0 भार्गव	सूक्ष्म नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
6- श्री के0पी0 सिंह	अपर आवास अधिकृत एवं सचिव	सचिव

बैठक में विचार-विमर्श के माध्यम निम्न बातों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्रमांक	विचार	संख्या संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 2-3-90 को हुई बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि।	विद्वतीय/111/90	दिनांक 2-3-90 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्न बातों में संशोधन के साथ की गयी। 1- पट सं0-10 में परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस प्रकार को "वेतन आयोग" को संदर्भित कर दिया जाये। 2- पट सं0-76 में परिषद ने यह निर्णय लिया कि यतुष्टी श्रेणी दैनिक वेतन कर्मचारी जो अर्द्ध/चपशाली आदि पट में सम्बन्धित कार्यालय कार्य करते हैं के साथ कार्य स्थलों पर कार्यरत एस्टेब्लिशमेंट कर्मचारियों को भी रु0 20/- प्रतिदिन की दर से वेतन दिया जाये।
2-	उपग्राम आवास एवं विकास परिषद को दिनांक 2-3-90 को हुई बैठक की अनुपालन आख्या।	विद्वतीय/121/90	दिनांक 2-3-90 की बैठक में लिये गये संशोधित निर्णय के अनुपालन में परिषद को अहवाल कराया गया।
3-	विद्वतीय वर्ष 1989-90 के पुनरीक्षण एवं वर्ष 1990-91 के प्रस्तावित आर्थ-व्ययक पर परिषद के विचार विपणनी।	विद्वतीय/131/90	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से पुनरावलोकन का अनुपालन किया गया। इस सम्बन्ध में परिषद ने यह निर्णय लिया कि आवास से पुनरावलोकन जल, सीवर लाइन तथा भाग आदि की सुविधा के लिए एक कमीशन की स्थापना अनुमान के साथ में हाथी जाया परिषद ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी परीक्षा किये जाने को अपेक्षा

1	2	3	4
---	---	---	---

की और इस विषय में जासकरी चाही है:-

- 1- परिषद की शृणु को बतने करने की शक्यता।
- 2- हमारी इस कितने शृणु की नातिबिके देनदारी है वा भुगतान सम्बन्धी शृणु-नीति।
- 3- भाषि अर्जन में हरे अभी वास्तविक कितना प्रतिकर देना है वा भुगतान सम्बन्धी शृणु-नीति।
- 4- भाषनों एवं व्यक्ततादिक सम्पत्तियों का निस्तारण।

4-	विजतीय क्रमां 81-82 की बैलेन्सशीट पर सम्बन्धी शृणु आख्या के सम्बन्ध में प्रस्तर दार आख्या।	विजतीय/141/90	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थापित।
5-	विजतीय क्रमां 82-83 की बैलेन्सशीट पर सम्बन्धी शृणु आख्या के सम्बन्ध में प्रस्तरदार आख्या।	विजतीय/154/90	-तदैव-
6-	विजतीय क्रमां 85-86 के आर्थिक विवरण एवं आर्थिक व्ययक शृणु का आडिट कराने के सम्बन्ध में।	विजतीय/161/90	-तदैव-
7-	विजतीय क्रमां 1986-87 के आर्थिक विवरण एवं आर्थिक व्ययक शृणु का आडिट कराने के सम्बन्ध में।	विजतीय/171/90	-तदैव-
8-	परिषद योजनाओं में परिषद के मुख्य हेतु अरक्षित भावन की आख्यकता न पडने पर उनका निस्तारण।	विजतीय/181/90	-तदैव-
9-	विजिल लाइन्स योजना फतेहपुर में स्टेट बैंक आफ इण्डिया फतेहपुर शाखा को 20 मध्याह्न आय का भावन तथा 20 अर्ध आय का भावन नकद परधारित कर लिये जाने के सम्बन्ध में।	विजतीय/191/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
10-	हजिलियारी, जानपुर देहात को सामान्य व्ययिक्तियों की भाषि भावन अख्यकित करने के सम्बन्ध में।	विजतीय/1101/90	-तदैव-
11-	रामपुर भाषि विकास एवं गृहस्थान योजना नं०-4 रामपुर के सम्बन्ध में।	विजतीय/1111/90	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थापित।
12-	राजपुर रोड भाषि विकास एवं गृहस्थान योजना नं०-1 देहरादून में समाहित 8 भाग जागान, राजपुर रोड के वातरा नं०-28/1 तथा 285/1 की भाषि छोड़े जाने के सम्बन्ध में।	विजतीय/121/90	-तदैव-
13-	विजिल लाइन्स भाषि विकास एवं गृहस्थान योजना नं०-5 बरेली के सम्बन्ध में।	विजतीय/1131/90	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थापित।
14-	स्वयं चित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कियोत्क एवं कुर्जाने की धानतारिणी की अख्यकित के सम्बन्ध में।	विजतीय/1141/90	परिषद ने यह रिषय विषय विजिल लाइन्स द्वारा स्वयं चित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कियोत्क एवं कुर्जाने की

- मानसशास्त्रि जया जी एली हे. जन्मे पद लिखा जावे कि क्या हे मराठी एव विभागात जी पुनरीक्षात वरिष्ठ पद लेने को सहमत हे जिन्हे कि भाषिकी उपतब्धता को देवाये ह्ये सदस्या निश्चित लिखा जा रहे।
- 15- हडको घोषित 17वीं हडको एल.आइ.सी. परियोजना स्कीम नं-2 सेक्टर-2 कानपुर स्कीम नं-70531 विद्वतीय/1151/90 परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
- 16- हडको घोषित 16वीं हडको मिश्रित परियोजना स्कीम नं-3 सेक्टर-3 कानपुर स्कीम नं-71661 विद्वतीय/1161/90 -तदैव-
- 17- राजाजीपुरम के सेक्टर-1, 11, 12, 13 का पट्टे के काया विधातोकरण का की पुनरीक्षा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। विद्वतीय/1171/90 परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
- 18- इन्दिरानगर विस्तार योजना के सेक्टर-15 में हडको प्रलिया के समीप प्रस्तावित 32 नया दुकानों एवं क्या विचार के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। विद्वतीय/1181/90 -तदैव-
- 19- झरौली योजना निष्पार में विद्वतीय हडको लक्ष्य जित प्रोजेक्ट के अन्तर्गत FOARD NO 118/40 प्रकार 1 के भूखेती को पुनरीक्षा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। विद्वतीय/1191/90 परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
- 20- औरथा योजना सं-1 में 100 दुकानों का 118/30 प्रकार 1 भावना के पुनरीक्षा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। विद्वतीय/1201/90 -तदैव-
- 21- राजाजीपुरम योजना के सेक्टर में निर्मित 33 मला आय का 119/80 प्रकार 1 भावना की पुनरीक्षा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। विद्वतीय/1211/90 परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
- 22- परिषद के ठेकेदारों की विशेष शर्तों में सूची बढ़ता हेतु सहायक लाइन्स। विद्वतीय/1221/90 अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।
- 23- कानपुर विद्यालय विभिन्न योजनाओं में किये गये विज्ञापन कार्यों/ निर्माण कार्यों में अवस्ताओं के सम्बन्ध में। विद्वतीय/1231/90 -तदैव-
- 24- कार्य प्रभावरित बिजली मि. वि. के अंतर्गत कानपुर विद्यालय कार्यालय के सम्बन्ध में। विद्वतीय/1241/90 -तदैव-

1	2	3	4
25-	परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन निर्माण स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	विदतीय/1251/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
26-	मेरठ योजना सं-7 में तालाब सं-3957 व 3958 का जिला प्रशासन मेरठ द्वारा परिवहन विभाग को आवंटित करने के सम्बन्ध में।	विदतीय/1261/90	अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थापित।
27-	जनपद मुजफ्फरनगर में राजहू ग्राम के किसानों को आवारसीय में दो गड़ भूमि निष्कासक आवासन सं-301/86	विदतीय/1271/90	-तदैव-
28-	मांठ उच्चतम न्यायालय में परिषद अधिवक्ता श्री ओ. पी. ठराना तथा एडवोकेट आन रिफार्ड को संतोषित जी. डी. का भूखतान किये जाने के सम्बन्ध में।	विदतीय/1281/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
29-	परिषद की विभिन्न योजनाओं में सामुदायिक केन्द्रों के किराया निर्धारण के सम्बन्ध में।	विदतीय/1291/90	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
30-	बदायूं योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम को भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में।	विदतीय/1301/90	-तदैव-
31-	ओबरी योजना बाराबंकी में प्रथम हड़की परियोजना के अन्तर्गत निर्मित 523 टुंग्टु व 0118/30 प्रकार के भूखतानों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	विदतीय/1311/90	-तदैव-
32-	इन्दिरानगर विस्तार योजना लखनऊ के सेक्टर-14 में प्रस्तावित 61 टुंग्टु व 0112/24 प्रकार के भूखतानों के स्थान पर 83 टुंग्टु व 0113/25 प्रकार के भूखतानों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	विदतीय/1321/90	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
33-	पूनीत सहकारी आवास समिति लि. लखनऊ को 74, 93 वर्गमीटर भूमि जो आवास विकास परिषद द्वारा अधिग्रहीत की गई थी को 10 प्रतिशत अतिरिक्त एकादेश भूमि भाडागडों के रूप में दिये जाने पर विचार।	विदतीय/1331/90	परिषद ने विचार-विमर्श करके सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जिस तारीख को पिछली बार इस समिति द्वारा 40 प्रतिशत भूमि की धनराशि जमा की गई थी तथा जिस दर पर जमा की गई थी उस तारीख से जिस तारीख तक यह धनराशि जमा की गई और उस दर पर 10 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लिया जायेगा। जब तक यह समिति 10 प्रतिशत भूमि की धनराशि जमा करती है।

1	2	3	4
33- परिषद योजनाओं का मासिकता	विद्यतीय/1341/90	अगली बैठक हेतु स्थगित।	
35- साक्षात्कार समिति का पुनर्गठन	विद्यतीय/1351/90	-तैय-	
36- गण निपटणा मैनुअल धात-2 के सम्बन्ध में।	विद्यतीय/1361/90	-तैय-	
37- बसन्तारा योजना सं०-3 गौजियावाट के सेक्टर-17 में एक कमरे वाले चार मंजिले 550 फुट ² एरिया "R0" 350 भावन लम्बाई 100 फुट ² के 200 भावन की पुनरीक्षण प्रशासनिक एवं विद्यतीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	विद्यतीय/1371/90	परिषद ने विद्यार-विद्यार के उपरान्त स्वीकृति से स्वीकृति प्रदान की।	
38- मोरखण्ड के परिषद द्वारा चिकित्सा शास्त्र योजनाओं का अंतिम अंश एवं अन्तर व्यवस्था नगर अन्तर्गत नगर क्षेत्रों को हस्तान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में।	विद्यतीय/1381/90	-तैय-	
39- बसन्तारा योजना सं०-3 गौजियावाट के सेक्टर-17 में एक कमरे वाले चार मंजिले 1750 फुट ² एरिया-31 फुट ² के निर्माण हेतु पुनरीक्षण प्रशासनिक एवं विद्यतीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	विद्यतीय/1391/90	परिषद ने विद्यार-विद्यार के उपरान्त स्वीकृति से स्वीकृति प्रदान की।	
40- कार्य प्रभावरित/टैनिंग वेतन भारी मस्तर एल कम्युनिको को नियमित कार्यवाहियों के बराबर वेतन दिये जाने एवं नियमितकरण के सम्बन्ध में।	विद्यतीय/1401/90	हस्त सम्बन्ध में परिषद को सूचित किया गया कि विकास प्राधिकरणों के बारे में प्रारम्भिक चर्चा जो पूर्व में निर्णय लिया गया था उसी पर वास्तविक चर्चा एवं विचार हो रहा है। अतः फिलहाल इस मामले को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।	
41- परिषद की इलाहाबाद योजना में 500पी0 ब्लैकटैनिंग कारपोरेशन को भाषि परिवर्धन के लिए 5,000 वर्गमीटर भाषि आर्वाटल किये जाने के सम्बन्ध में।	विद्यतीय/1411/90	परिषद ने विद्यार-विद्यार के उपरान्त यह निर्णय लिया कि जिसे प्रकार अन्य सरकारी विभागों/स्थापनों को भाषि परिवर्धन की जाती है उसी प्रकार 500पी0 ब्लैकटैनिंग कारपोरेशन को भी भाषि दी जाने वाली भाषि की गल्ले संख्या 390/2 प्रति वर्गमीटर को विभाजित 31-3-90 तक देय है के आधारे पर परिषद दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। 1-4-90 से प्रैल की उर लागू होगी।	
42- विद्यार का सर्वेक्षण कार्य के घट के सम्बन्ध में।	विद्यतीय/1421/90	अगली बैठक हेतु विद्यारार्थी स्थगित।	

- | 1. | 2. | 3. | 4. |
|--|-----------------|--|----|
| 43- श्रीमती कान्ता गेरमानी
सं. 30-11-89 के दिनांक
7-9-89 से 30-11-89
तक का प्रभार संख्या 31
विशेष परिस्थितियों
में स्वीकृत किये जाने के
सम्बन्ध में। | द्वितीय/1431/90 | अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थापित। | |
| 44- परिषद के अधीन
अभियन्ताओं की अन्तिम
तरिखत का सूची। | द्वितीय/1441/90 | परिषद द्वारा विचार-विमर्श के
उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का
अनुमोदन किया गया। | |
| 45- परिषद की सुविधाएँ
योजना के अन्तर्गत श्री 90
पीएमए, आइओएसएओ की
भावन सं-10/453 के अन्तर्
गत सं-304 अर्थात्
करने के सम्बन्ध में। | द्वितीय/1451/90 | अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थापित। | |
| 46- बहु-उपरोक्त योजना
में निम्नानुसार के सभी
अभियन्ताओं के व्यक्तियों को
स्वयं विचार प्रोत्साहन
की योजना के अन्तर्गत
किये जाने के सम्बन्ध में। | द्वितीय/1461/90 | परिषद द्वारा विचार-विमर्श
के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव
का अनुमोदन किया गया। | |
| 47- परिषद सम्पत्तियों की
नीलामी की लखवाण्ड
स्वीकृत करके सम्बन्ध
में स्थापित किया। | द्वितीय/1471/90 | परिषद से विचार-विमर्श के
उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव की
स्वीकृति प्राप्त की। | |
| 48- निम्नानुसार योजना
फतेहपुर में जिलाधिकारी
फतेहपुर में जिलाधिकारी
फतेहपुर को 23 गज
का भावन 4 उ दस्तावेज
भावन सं-10/453 के अन्तर्
गत सं-304 अर्थात्
किये जाने के
सम्बन्ध में। | द्वितीय/1481/90 | परिषद द्वारा विचार-विमर्श
के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव
का अनुमोदन किया गया। | |
| 49- स्टाफ विवरण प्रो. वि. वि.
योजना के अन्तर्गत
एवं कर्माचारियों का
पंजीकरण। | द्वितीय/1491/90 | सं. 10-14 के अनुसार किया गया। | |
| 50- अध्यक्ष महोदय की
अनुमति से कोई अन्य
विषय। | द्वितीय/1501/90 | अध्यक्ष महोदय एवं आचार्य आचार्य
के निजी सचिवों के पदों के उच्चतर
का कारण परिषद के अन्तर्
गत विचारार्थ प्रस्ताव किया गया।
परिषद ने इन दोनों निजी सचिवों
के अनुभवा और पद के दायित्वों को
देखते हुए यह निर्णय लिया कि इन
पदों का वेतनमान रु 2200-4000
पर दिया जाय परन्तु इस लागू
करने से पूर्व शासन की अनुमति ले
ली जाये। | |

प्राप्ति का कार्य
अध्यक्ष